

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।


क्रमांक: एफ.1 (175)स्था/निकाशि/2011 / 4283

दिनांक: 05-8-11

संशोधन आदेश

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक: एफ.1 (175)स्था/निकाशि/2011/4281 दिनांक 4 अगस्त, 2011 में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं।

पूर्व में जारी आदेश	संशोधित
पृष्ठ-एक क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने वाले अनुदानित महाविद्यालय से आनेवाले शिक्षकों की सूची निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करवादी गई है।	पृष्ठ-एक क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने वाले अनुदानित महाविद्यालय से आनेवाले शिक्षकों की सूची निदेशालय की वेबसाईट पर दिनांक 5-8-2011 की सायं उपलब्ध करवा दी जायेगी।
पृष्ठ-दो	पृष्ठ-दो मीरा कन्या अनुदानित महाविद्यालय संगरिया के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशांसित व दिनांक 5-8-11 तक क्षेत्रीय कार्यालय में कॉलेज शिक्षा में उपस्थिति देने वाले व्याख्याता अभिमुखीकरण हेतु राजकीय महाविद्यालय नोहर में उपस्थिति देंगे।
पृष्ठ-चार प्राचार्य केवल उन्हीं शिक्षकों को उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उपस्थिति देने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिन्होंने दिनांक 6.8.2011 तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी है।	पृष्ठ-चार प्राचार्य केवल उन्हीं शिक्षकों को उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उपस्थिति देने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिन्होंने दिनांक 5. 8.2011 तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी है।


(सुबीर कुमार)
निदेशक


कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ.1(176)स्था/निकाशि/2011/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्चशिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक(स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
13. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/सम्बन्धित शिक्षक।
15. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर